न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17.11.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 17/11/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22 / 2022	2022 / 137	12.05.2022	17.11.2022

उनवान प्रकरण

नानूराम पुत्र मांग्या उर्फ मांगूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी नारावाली ग्राम डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थितः–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 124 से 142 कुल किता 18 कुल रकबा 25 हैक्टेर राजस्व ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके पुराने ख0 न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

65, 67, 68 कुल किता 3 कुल रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा राजस्व ग्राम मऊ (जिसका नवसर्जित ग्राम डेरावाली है) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर था। उक्त भूमियों का प्रार्थी मांग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 का काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड द्वितिय सैटलमेन्ट से पूर्व से चला आ रहा है परंतु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से प्रार्थी के पिता का नाम भाग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 गलत दर्ज किया गया है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का मूल नाम मांगू पुत्र काना है। जिसको भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में भी मांग्या पुत्र काना सही दर्ज नही कर रखा है। जो भी शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक शुद्ध नाम मांग्या उर्फ मांगू पुत्र काना था। जो राजस्व रिकार्ड में मांग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज चला आ रहा था परंतु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि व लापरवाही से मांग्या पुत्र काना के बजाय भाग्या पुत्र काना गलत दर्ज कर रखा है। प्रार्थी के पिता का समस्त सरकारी दस्तावेजों में मांगू पुत्र काना सही नाम दर्ज है। जिसको दुरूस्त किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता मांग्या उर्फ मांगू पुत्र काना का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके विरासत के नामांतरण बाबत हल्का पटवारी व भूमिधारी से नामांतरण की कार्यवाही बाबत कहा गया तो हल्का पटवारी व अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी के स्व. पिता का राजस्व रिकार्ड में मांग्या पुत्र काना के बजाय भाग्या पुत्र काना गलत दर्ज हाने बाबत विरासत के नामांतरण की कार्यवाही से पुर्व उक्त राजस्व रिकार्ड में न्यायालय के यहां से दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड के आदेश लाने बाबत कहां गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भाग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 के बजाय मांग्या उर्फ मांगू पुत्र काना हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश फरमाये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा [illegible] अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

13/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पटवार हल्का मऊ से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में पटवार हल्का मऊ ने जरिये दिनांक 18.10.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में कथन किया है कि :–

तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वर्तमान खाता संख्या 451 में प्रार्थी के पिता का नाम भाग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी डेरावाली मउ दर्ज रिकार्ड है। ग्राम डेरावाली के अन्य खाता संख्या 307 में मांगू पुत्र काना हि0 पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में मांगूराम दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम मांगू दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम भाग्या पुत्र काना के स्थान पर मांगू पुत्र काना शुद्ध किये जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का मउ के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने पटवारी हल्का मउ से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में प्रार्थी के पिता का [illegible] पुत्र काना दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, [illegible] मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थी के पिता का नाम मांगू पुत्र काना [illegible]र्ज होना प्रकट होता है। प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

1/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible] का नाम भाग्या पुत्र काना के स्थान पर मांगू पुत्र काना शुद्ध किये जाने की अभिशंसा [illegible] हल्का मउ के द्वारा की जाने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 124 से 142 कुल किता 18 कुल रकबा 8.25 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज भाग्या पुत्र काना हिस्सा 1/4 के बजाय मांग्या उर्फ मांगू पुत्र काना हिस्सा 1/4 दुरूस्त कर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17-[illegible]-2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested